प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थाना:- सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......462/22...... दिनांक..........01/12/2022
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) 2018, धारा:-7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें:- 120बी
(3) अधिनियम -- धारायें:------------------------------------
(4) अन्य अधिनियम व धारायें:- --.
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ---------15------समय-----3:15 P.M.------------
(ब) अपराध के घटने का दिन:- बुधवार, दिनांक 30.11.2022 समय 11.40 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 18.11.2022 समय 10.00 ए.एम.
4. सूचना की किस्म:- हस्त-लिखित
5. घटनास्थल:-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- चौकी से बदिश दक्षिण-पश्चिम, बफासला करीबन 80 किलोमीटर दूर
(ब) पता:- परिवादी का रहवासीय मकान कुल्फी फैक्ट्री के पास, राजपुत गोपाल छात्रावास के पीछे भीनमाल, जिला जालोर
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो:- नहीं
6. परिवादी/सूचनाकर्ता:-
(अ) नाम:- श्री मुकेश कुमार सोनी
(ब) पिता का नाम:- श्री देवीचन्द
(स) जन्मतिथि/वर्ष:- उम्र 42 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता:- भारतीय
(य) पाटपोर्ट संख्या:--------नहीं---------------- जारी होने की तिथी ------नहीं------------
(र) व्यवसाय:- सुनारी कार्य
(ल) पता:- कुल्फी फैक्ट्री के पास, राजपुत गोपाल छात्रावास के पीछे भीनमाल, जिला जालोर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित:-
01. श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री चतुर्भुज आचार्य, जाति ब्राह्मण उम्र 33 वर्ष, निवासी रामबाग प्रथम गली कागां-डांडी पुलिस थाना नागौरी गेट जोधपुर, जिला जोधपुर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर मोबाईल नंबर 9785667964
02. श्री जगदीश जाट पुत्र श्री देवाराम जी जाट जाति जाट उम्र 48 वर्ष, निवासी मीरपुरा रोड जाटों की ढाणी भीनमाल, पुलिस थाना भीनमाल हाल कनिष्ट सहायक, भूमि विकास शाखा नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर, मोबाईल नंबर 9001585882
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:- कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां:---
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य:- ट्रेप राशि 3,43,500/- रुपये
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) --
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ---

सेवामें,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर

विषयः- रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्

महोदयजी

उपरोक्त विष्य अंतरगत मन मुकेश कुमार S/O देवीचन्द जी जाती सोनी निवासी कुल्फी फेक्ट्री के पास राजपुत गोपाल क्षात्रावास के पिछे भीनमाल मो. 9413584101, 9602252886 का इस प्रकार निवेदन है कि मेरे भीनमाल नगरपालिका मे पट्टे हेतु 6 फाईले लगी हुई है। जो मेरे व मेरी पत्नी और मेरे रिस्तेदारों के नाम लगी हुई है। जिस पर भीनमाल नगरपालीका का आयुक्त नाम आशुतोष आर्चाय व पट्टा बाबु जगदीश जाट दोनो मिलकर 6 फाईल का पट्टा बनाने के एवज मे प्रति फाईल एक लाख, -एक लाख रु. कुल छः लाख (6) लाख रुपये कि रीस्वत की मांग कर रहे है। मे मेरे जाईज काम के लिए रिश्वत छः लाख रुपये नहीं देना चाहता हुं ईन दोनो को छः लाख रु. रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं. मेरे व आशुतोष आर्चाय, जगदीश जाट के कोई आपस मे रंजीस नही है। न मेरा कोई पुराना लेन देन है। अतः रीपोर्ट करता हू कानुनी कार्यवाही करावे

दिनांक 18-11-2022

भवदीय
एसडी/-
मुकेश कुमार सोनी
9413584101

एसडी/-
डां. महावीरसिंह राणावत
18.11.22

एसडी/-	एसडी/-
जितेन्द्र तोमर	दिलीप कुमार
30.11.2022	30.11.2022

<u>कार्यवाही पुलिस दिनाँक 18.11.2022 समय 10.00 ए.एम.</u>

इस समय परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी पुत्र श्री देवीचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 42 वर्ष निवासी कुल्फी फैक्ट्री के पास, राजपुत गोपाल छात्रावास के पीछे भीनमाल, पुलिस थाना भीनमाल जिला जालोर, मोबाईल नंबर 9413584101, 9602252886 ने एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड कि फोटो प्रति मन् डां महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर के समक्ष कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर इस आश्य की प्रस्तुत कि की मेरे भीनमाल नगर पालिका मे पट्टे हेतु छः फाईलें लगी हुई है, जो मेरे व मेरी पत्नि और मेरे रिश्तेदारों के नाम लगी हुई है। जिस पर भीनमाल नगर पालिका का आयुक्त नाम आशुतोष आचार्य व पट्टा बाबू जगदीश जाट दोनो मिलकर 6 फाईलों का पट्टा बनाने के एवज मे प्रत्येक फाईल एक लाख, एक लाख रुपये कुल छः लाख (6) रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं मेरे जायज काम के लिए रिश्वत छः (6) लाख रुपये नहीं देना चाहता हूँ। इन दोनो को छः (6) लाख रुपये रिश्वत लेते हुए को रंगेहाथों पकड़वाना चाहता हूँ, मेरे व आशुतोष आचार्य व जगदीश जाट के कोई आपस मे रंजीश नहीं

है, न मेरा कोई पुराना लेन-देन है । रिपोर्ट करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें वगैरा । पुलिस दरियाफ्त पर परिवादी ने यह रिपोर्ट स्वयं के हस्तलिखित होना, रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट मे लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया । परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने यह भी बताया कि श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी व श्री जगदीश जाट पट्टा बाबू काफी भ्रष्ट प्रवृति के है जो बिना पैसे लिये किसी भी व्यक्ति का जायज काम नही करते है। पैसे नही देने पर लोगो को नाजायज रूप से परेशान करते है तथा जगह बजगह भटकाते रहते है। मैं उनसे मेरे जायज काम के लिये बात करूंगा तो वो मेरे से भी बिना रिश्वत लिये काम नही करेगें । श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी व श्री जगदीश जाट पट्टा बाबू उनके कार्यालय कक्ष पर मेरे से रिश्वत संबधी वार्ता कर लेगें। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 18.11.2022 को मन् डां. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जालोर द्वारा कानि. श्री विक्रमसिंह नं. 556 को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी को चलाने की समझाईस की गई तथा डिजीटल टेप रिकार्डर को पुनः कार्यालय हाजा के मालखाना मे रखवाया गया। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने बताया की श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी इस समय नगर पालिका भीनमाल मे उपस्थित नहीं है, उपस्थित आने पर मैं आपसे संपर्क करुंगा । जिस पर परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी व श्री विक्रमसिंह कानि. 556 के मोबाईल नंबरो का परस्पर आदान-प्रदान किये जाकर श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 को निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी से संपर्क मे रहकर संदिग्ध अधिकारी के उपस्थित आने पर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर लेकर भीनमाल पहूंचकर परिवादी से संपर्क कर संदिग्ध अधिकारी श्री आशुतोष आचार्य व श्री जगदीश जाट पट्टा बाबू से परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी की रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्तालाप डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड कर लावें। परिवादी को प्रकरण मे गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रुकस्त किया गया। दिनांक 22.11.2022 को श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 ने मन् अति.पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी से जरीये मोबाईल वार्ता हुई की संदिग्ध अधिकारी आज अपने कार्यालय मे उपस्थित रहेगें अगर उनसे मेरे कार्य के संबंध मे वार्ता करुंगा तो वो रिश्वत की मांग कर लेगें जिस पर श्री विक्रमसिंह कानि. को कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वती राशी मांग सत्यापन हेतु भीनमाल की तरफ रवाना किया गया । तत्पश्चात श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 हमरा परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये । श्री विक्रमसिंह कानि. ने डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात मे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनाँक 22.11.2022 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर भीनमाल पहूंच परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी से संपर्क कर हमरा परिवादी के नगर पालिका भीनमाल के नजदीक पहूंचा तथा डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी को सुपुर्द कर श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल से रिश्वती राशि मांग सम्बंधी वार्तालाप करने हेतु रवाना किया गया तथा मन् कानि. आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में व्यस्त हुआ । तत्पश्चात् कुछ समय बाद परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी मेरे पास आकर मन् कानि. को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसको स्वीच आर्फ कर मैने अपने कब्जे में रखा । परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने बताया कि श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी मुझे उनके कार्यालय में उपस्थित मिले ।

उन्होने मेरे से मेरे पट्टों की फाईलों के बारे मे वार्ता कर उन्होने जगदीश पट्टा बाबू को बुलाया व कहा इनकी फाईलों को देखना, मुकेशजी कि कच्ची बस्ती कि इनकी फाईल मे लेख लो यार व रिश्वत हेतु ईशारा करते हुए कहा कहदो यार इनको, तो जगदीश ने कहा अब आया है करवाता हूं। आदि वार्ता रिकार्ड होना बताया। जिस पर परिवादी को समझाईस कर डिजीटल टेप रिकार्डर पुनः चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर श्री जगदीश पट्टा बाबू से वार्ता कर वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु नगर पालिका भीनमाल के लिए रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी नगर पालिका भीनमाल से बाहर आकर डिजीटल टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे मे लिया। परिवादी ने बताया की उसकी वार्ता श्री जगदीश पट्टा बाबू से होना तथा श्री जगदीश पट्टा बाबू द्वारा परिवादी के पट्टे की छः फाईलों के पट्टे जारी करने की एवज मे छः लाख रुपये की मांग की, मेरे द्वारा हाथा-जोडी करने पर पांच लाख रुपये रिश्वत देना तय हुआ आदि वार्ता रिकार्ड होना बताया। तत्पश्चात मन् कानि.व परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी भीनमाल से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो जालोर पहूंचे। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने श्री विक्रमसिंह कानि. के कथनों की ताईद की। डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ता सुनने पर रिश्वती राशी मांग की पुष्टी हुई। परिवादी ने बताया की रिश्वत मे दी जाने वाली राशी की व्यवस्था होने पर अग्रीम कार्यवाही हेतु मैं श्रीमान से संपर्क करुगा। परिवादी को प्रकरण मे गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रुकस्त किया गया। डिजीटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं के कब्जे मे रखा। आईन्दा गवाहान की उपस्थिति मे रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 29.11.2022 को परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने जरीये वाट्सअप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आरोपीगण को रिश्वत मे दी जाने वाली राशी 50,000/- रुपये की ही व्यवस्था हो पाई है, शेष राशी तीन लाख रुपये तक की मैं डबी नोटों की व्यवस्था कर सकता हूँ जिस पर परिवादी को निर्देश दिए गए की 50,000/- रुपये असल नोट तथा शेष तीन लाख रुपये डमी करेंसी की व्यवस्था कर दिनांक 30.11.2022 को प्रातः करीब 06.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आवें। दिनांक 30.11.2022 को प्रातः जल्दी ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुखाराम हैड.कानि. को श्रीमान अधीक्षण अभियंता डिस्कॉम जालोर के नाम तहरीर सुपुर्द कर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु जरीये सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री जयराम कानि. के रवाना किया गया। ताबाद श्री सुखाराम हैड.कानि. नं. 96 जरीये वाहन सरकारी बोलेरो मय श्री जयराम कानि.चालक के गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र तोमर सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम आहोर व श्री दिलीप कुमार वाणिज्य सहायक प्रथम कार्मिक कार्यालय अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जालोर के कार्यालय हाजा मे उपस्थित आये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 30.11.2022 को प्रातः 06.00 ए.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रुकस्त किया गया तथा ब्यूरो स्टाफ को भी कल दिनांक 30.11.2022 को प्रातः 06.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 30.11.2022 को वक्त 06.00 ए.एम. पर पूर्व पाबंद सुदा परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी तथा स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र तोमर सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम आहोर व श्री दिलीप कुमार वाणिज्य सहायक प्रथम कार्मिक कार्यालय अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जालोर एवं कार्यालय स्टाफ कार्यालय हाजा मे उपस्थित आये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी का परिचय उपस्थित गवाहान क्रमशः श्री जितेन्द्र तोमर पुत्र श्री बरनामसिंह तोमर उम्र 40 वर्ष, जाति राजपूत निवासी 05 रविन्द्र नगर ए, टीलावाला जगतपुरा पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर जिला जयपुर, हाल सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम आहोर जिला जालोर , मो.नं. 9660667759 तथा श्री दिलिप कुमार पुत्र श्री पूनाराम उम्र 32 साल जाति मेगवाल निवासी बागरा पुलिस थाना बागरा जिला जालोर, हाल वाणिज्य सहायक प्रथम, कार्मिक कार्यालय अधीक्षण अभियंता (पवस)

जोधपुर डिस्कॉम जालोर, मोबाईल नंबर 7073789072 का परस्पर करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर दोनो गवाहान को सुनाई गई तथा रिपोर्ट को बार-बारी से पढाई गई, गवाहान ने परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी से पुछताछ कर तसल्ली तथा दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात रिश्वती राशी मांग सत्यापन के दौरान रिकार्ड सुदा वार्तालाप के मुख्याशः डिजीटल टेप रिकार्डर चालू कर सुनाये गये तो गवाहान द्वारा रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्तालाप होने की पुष्टी की गई। तत्पश्चात उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर ने परिवादी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री देवीचन्द सोनी निवासी कुल्फी फैक्ट्री के पास राजपूत गोपाल छात्रावास के पिछे भीनमाल जिला जालोर को संदिग्ध पट्टा बाबू श्री जगदीश जाट नगर पालिका भीनमाल जिला जालोर को मांग सत्यापन के अनुसरण मे दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा तो परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने अपने पास से 500-500 रुपये कि एक गड्डी कुल 100 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 50,000/- रुपये पेश किये एवं शेष रुपयों कि व्यवस्था नहीं होने से 03 (तीन) लाख रुपये 500-500 रुपये के भारतीय मुद्रा जैसे दिखने वालें डमी करेंसी कि 06 (छः) गड्डीयां प्रस्तुत की, डमी करेंसी के नोटो को गिना गया तो 05 (पांच) गड्डीयों मे 100-100 नोट तथा 01 (एक) गड्डी मे 87 नोट पाये गये इस प्रकार डमी नोट राशि 2,93,500/- (दो लाख तेरानवे हजार पांच सौ रुपये) होना पाई गई। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी द्वारा उपरोक्त रुबरु गवाहान के पेश किये गये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 50,000/- (पच्चास हजार रुपये) के नोटो के नंबर निम्न प्रकार हैः-

01. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286801
02. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286802
03. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286803
04. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286804
05. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286805
06. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286806
07. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286807
08. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286808
09. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286809
10. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286810
11. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286811
12. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286812
13. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286813
14. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286814
15. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286815
16. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286816
17. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286817
18. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286818
19. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286819
20. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286820
21. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286821
22. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286822
23. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286823
24. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286824
25. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286825
26. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286826

27. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286827
28. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286828
29. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286829
30. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286830
31. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286831
32. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286832
33. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286833
34. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286834
35. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286835
36. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286836
37. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286837
38. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286838
39. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286839
40. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286840
41. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286841
42. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286842
43. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286843
44. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286844
45. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286845
46. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286846
47. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286847
48. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286848
49. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286849
50. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286850
51. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286851
52. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286852
53. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286853
54. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286854
55. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286855
56. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286856
57. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286857
58. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286858
59. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286859
60. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286860
61. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286861
62. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286862
63. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286863
64. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286864
65. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286865
66. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286866
67. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286867
68. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286868
69. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286869
70. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286870
71. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286871
72. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286872
73. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286873
74. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286874

75. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286875
76. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286876
77. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286877
78. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286878
79. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286879
80. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286880
81. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286881
82. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286882
83. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286883
84. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286884
85. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286885
86. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286886
87. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286887
88. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286888
89. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286889
90. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286890
91. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286891
92. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286892
93. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286893
94. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286894
95. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286895
96. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286896
97. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286897
98. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286898
99. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286899
100. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7ES 286900

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 2,93,500/- (दो लाख तेरानवे हजार पांच सौ रुपये) भारतीय मुद्रा जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के 500-500 के डमी करेंसी के कुल 2,93,500/- (दो लाख तेरानवे हजार पांच सौ रुपये) जिन पर मनोरंजन बैंक का खजाना 0AA000000 सभी नोटों पर समान अंकित है, उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्री आदूराम कानि. नं. 142 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर कि शीशी निकलवाकर गवाहान कि मौजूदगी मे उपरोक्त सभी नोटों को एक अखबार पर रखा जाकर श्री आदूराम कानि. नं. 142 से हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर प्रत्येक नोट पर लगवाया जाकर उपरोक्त सभी नोटों के 100-100 नोटों के बण्डल तैयार करवाये गये। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र तोमर सहायक अभियंता से लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए पार्चेजात के अलावा कोई भी आपत्तिजनक राशि/दस्तावेज एवं वस्तु नहीं रहने दी गई, मात्र उसका मोबाईल फोन नंबर 9413584101 उसके पास रहने दिया गया। तत्पश्चात उपरोक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि 3,43,500/-(तीन लाख तैयांलिस हजार पांच सौ रुपये) कि गड्डीयों को परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के पहने हुए कुर्ते कि दाहिनि जेब मे 1,50,000/- रुपये तथा बांयी जेब मे 1,93,500/-(भारतीय मुद्रा के प्रचलित नोट राशि 50,000/- एवं शेष डमी करेंसी राशि 2,93,500/-) रुपये कुल 3,43,500/- रुपये रखवाये गये। तत्पश्चात गवाहान कि उपस्थिति मे परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी को हिदायत दी गई कि उपरोक्त रिश्वति राशि को संदिग्ध पट्टा बाबू श्री जगदीश जाट नगर पालिका भीनमाल जिला जालोर द्वारा मांगने पर राशि निकालकर उसे देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे एवं रास्ते मे उक्त राशि के हाथ नहीं लगावें। अभिवादन कि आवश्यकता हो तो दूर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन करें, परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती

राशि संदिग्ध पट्टा बाबू श्री जगदीश जाट द्वारा रिश्वति राशि ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार आगे पिछे हाथ फेर कर अथवा अपने मोबाईल से मन् डां. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर 9413314343 पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक साफ कांच की गिलास मे साफ पानी भरकर मंगवाया गया, उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी एवं उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त गिलास के घोल के रंग मे कोई परिवर्तन नहीं आना बताया। इस पर उक्त रंगहीन घोल मे श्री आदूराम कानि. नं. 142 के हाथों की अंगूलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। समस्त हाजरीन को समझाईस की गई की आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल मे हाथ धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग गुलाबी हो जायेगा। प्रक्रियानुसार फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण कि क्रिया-प्रतिक्रिया एवं उपयोगिता के बारे मे समस्त को भलीभांति समझाया गया। तत्पश्चात नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री आदूराम कानि से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर श्री आदूराम कानि. के दोनो हाथों एवं गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो के उपर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर कि शीशी को पुनः नोटों पर फिनोफ्थलीन लगाने वाले श्री आदूराम कानि. नं. 142 से मालखाना मे रखवाई गई तथा श्री आदूराम कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई कि श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरो जाब्ता के साथ आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल कि दस्तयाबी हेतु टीम मे रहें। परिवादी के अलावा गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों कि आपस मे जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक राशि/दस्तावेज या वस्तु नही रहने दी गई, अपने-अपने मोबाईल फोन पास मे रहने दिए गए। तत्पश्चात गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से दो-दो बार धुलवाये गये। गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को आवश्यक हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मूर्तिब की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने दिनांक 28.11.2022 को पट्टा बाबू श्री जगदीश जाट से रुबरु हुई वार्तालाप जो परिवादी ने स्वयं के मोबाईल फोन मे रिकार्ड की गई कि पेन ड्राईव प्रस्तुत की। उक्त वार्तालाप की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 30.11.2022 को वक्त 08.30 ए.एम. पर मन् डां. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,मय स्वंतत्र गवाहान श्री जितेन्द्र तोमर सहायक अभियंता व श्री दिलीप कुमार वाणिज्य सहायक प्रथम एवं परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी एंव ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री दीनदयाल निरीक्षक पुलिस, श्री मोहनलाल हैड कानि0 नं. 93,श्री सुखाराम हैड कानि.96, श्री विक्रमसिंह कानि. 556,श्री गोपाल कुमार कानि. 537 ,श्री आदूराम कानि. 142, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 मय ट्रेप बाक्स कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकार्डर व आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन मय श्री जयराम कानि.चालक व निजी वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु भीनमाल कि तरफ रवाना हुए। जाब्ता की कमी होने से कार्यालय हाजा को तालाबंदी कर चाबी श्री सुखाराम हैड.कानि. 96 को सुपुर्द की गई। रवाना सुदा मन् डां. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ब्यूरो जाब्ता के सरकारी व निजी वाहन के कस्बा भीनमाल तलबी रोड पहूंचे। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने बताया की वह सह-आरोपी श्री जगदीश पट्टा बाबू से वार्ता करने पर वह मेरे घर पर रिश्वती राशी लेने हेतु आ सकता है, जिस पर श्री

दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय श्री सुखाराम हैड.कानि., श्री आदूराम कानि., श्री गोपाल कुमार कानि. जरिये सरकारी वाहन चालक श्री जयराम कानि.तथा आवश्यक सामग्री के सह-आरोपी श्री जगदीश पट्टा बाबू से रिश्वती राशी लेन-देन होने के पश्चात निर्देशानुसार मुख्य आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को दस्तयाब करने हेतु नगर पालिका भीनमाल के आस-पास मामूर होने हेतु हिदायत कर रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा शेष ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड.कानि., श्री विक्रमसिंह कानि., श्री गुलाबसिंह कानि. के निजी वाहन से रवाना होकर परिवादी के रहवासी मकान पर पहूंचे। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के मोबाईल नंबर 9413584101 से सह-आरोपी श्री जगदीश पट्टा बाबू के मोबाईल नंबर 9001585882 पर कॉल करवाया जाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे वार्ता रिकार्ड करवाई गई, सह-आरोपी श्री जगदीश पट्टा बाबू ने परिवादी के रहवासी मकान पर आने हेतु कहा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान परिवादी के रहवासी मकान मे ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मामूर हुए तथा सह-आरोपी के आने के इन्तजार मे व्यवस्थ हुए। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी को कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर चलाने की समझाईस कर रिश्वती राशी लेन-देन के दौरान होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने की हिदायत दी जाकर अपने रहवासी मकान के अन्दर ही रहकर सह-आरोपी श्री जगदीश पट्टा बाबू के आने के इन्तजार मे व्यस्त रहने हेतु कहा गया। तत्पश्चात दिनांक 30.11.2022 को वक्त करीब 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने अपने निवास स्थान कुल्फी फेक्ट्री के पास राजपूत गोपाल छात्रावास के पिछे भीनमाल मे स्थित रहवासी मकान के अन्दर सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक से रिश्वती राशि आदान-प्रदान के पश्चात पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को देखते हुए किया। जिस पर मन् डां. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर ने दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं उपस्थित ब्यूरो टीम के सदस्यगण शीघ्र ही हरकत मे आकर परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के रहवासी मकान के अन्दर बैठक रुम मे परिवादी मुकेश कुमार सोनी के पास पहूंचे जहां पर परिवादी के पास ही खड़ा एक व्यक्ति पेन्ट-शर्ट पहने अपने दाहिने हाथ मे नोटों का बण्डल लिये खड़ा मिला। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी को पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे मे लिया। उपस्थित परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने अपने मकान मे स्वयं के पास खड़े उस व्यक्ति कि तरफ ईशारा कर बताया की यही पट्टा बाबू श्री जगदीश जाट है, जिन्होने मेरे रहवासी मकान मे आकर मेरे से मेरे, मेरी पत्नि तथा रिश्तेदारों के नाम से 06 (छः) पट्टे नगर पालिका भीनमाल से जारी करवाने कि एवज मे बातचीत कर अभी-अभी मेरे से रिश्वति राशी 3,43,500/- रुपये (50,000/- रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटो की गड्डी तथा 2,93,500/- डमी करेंसी के नोटो की गड्डीयां) मांगकर, प्राप्त कर नोटो के बण्डलों को गिनकर अपने दाहिने हाथ मे लेकर खड़ा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,हमराह स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री देवाराम जाति जाट उम्र 48 वर्ष, निवासी मीरपुरा रोड जाटों की ढाणी भीनमाल, पुलिस थाना भीनमाल हाल कनिष्ट सहायक, भूमि विकास शाखा नगर पालिका भीनमाल जिला जालोर, मोबाईल नंबर 9001585882 होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक से पास ही खड़े परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी की तरफ ईशारा कर उसे पहचानने एवं राशी किस बात कि प्राप्त की गई है, के बारे मे पुछा तो सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक ने कहा कि मैं श्री मुकेश कुमार सोनी को पहचानता हूँ, मुकेश कुमार सोनी जी के स्वयं तथा उनकी धर्म पत्नि एवं रिश्तेदारों के नाम से पट्टा जारी करवाने हेतु नगर पालिका भीनमाल मे फाईले पेश की थी, सोनी जी का नगर पालिका भीनमाल मे आना-जाना

होने से मै इनको पहचानता हूँ। सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक ने बताया कि परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी से अभी-अभी जो राशी मैंने प्राप्त कि है जो श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल के कहेनुसार सोनी जी के उपरोक्त पट्टे जारी करवाने की एवज मे राशी प्राप्त की है, इस राशी से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मै एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हूँ, साहब मेरे से गलती हो गई आईन्दा दूबारा ऐसी गलती कभी नहीं करुंगा, एक बार मुझे माफ करदो। रिश्वती राशी के बण्डल जो सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार के दाहिने हाथ मे पकडे हुए है उक्त राशी के बण्डलों को उपस्थित गवाह श्री जितेन्द्र तोमर को सुरक्षा की दृष्टी से सुपुर्द करवाये गये तथा उपस्थित दूसरे गवाह श्री दिलीप कुमार को पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी सुपुर्द कर रिश्वती राशी के नोटो का मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी मे अंकित सभी नोटो के नंबर हुबरु पाये गये जो उक्त रिश्वती राशी गवाह श्री जितेन्द्र तोमर के पास ही सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। कार्यवाही के दौरान ही ब्यूरो की दूसरी टीम के श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक मय श्री सुखाराम हैंड.कानि., श्री आदूराम कानि., श्री गोपाल कुमार कानि. तथा सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानि. के आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को शीघ्र ही दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया गया। चुंकि सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार के हाथ धोवन कि कार्यवाही की जानी है जो परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के रहवासी मकान मे करना उचित नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र तोमर व दिलीप कुमार, परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी व ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड.कानि., श्री विक्रमसिंह कानि., श्री गुलाबसिंह कानि.के बमय सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार को यथास्थिति मे निजी वाहन मे बैठाया जाकर परिवादी के निवास स्थान से रवाना होकर नगर पालिका भीनमाल पहूंचा जहां निर्देशानुसार श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता के दस्तयाब सुदा आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल कार्यालय कक्ष मे उपस्थित मिले। श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता एवं दस्तयाब सुदा आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी को हमरा लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानि. के पुलिस थाना भीनमाल पहूंचने के निर्देश दिए जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान मय सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार के निजी वाहन से पुलिस थाना भीनमाल पहूंचा जहां श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के दस्तयाब सुदा आरोपी श्री आशुतोष आचार्य के उपस्थित मिले। थानाधिकारी पुलिस थाना भीनमाल से कार्यालय कक्ष मे अग्रीम हाथ धोवन कार्यवाही करने हेतु अनुमति प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा ब्यूरो जाब्ता के दस्तयाब सुदा आरोपी श्री आशुतोष आचार्य एवं सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार को उक्त कार्यालय कक्ष मे लाया जाकर अग्रीम हाथ धोवन कि कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात रुबरु गवाहान के साथ मे लाए ट्रेप बॉक्स मेसे दो कांच की गिलासे निकलवाई जाकर प्रत्येक गिलास मे पीने का साफ पानी भरवाया जाकर प्रत्येक गिलास मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल मे रिश्वती राशी प्राप्त करने वाले सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो कांच की अलग-अलग साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार कांच के दूसरे गिलास मे तैयार रंगहीन घोल मे सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित

होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया । उक्त धोवन को दो कांच की अलग-अलग साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया । तत्पश्चात रिश्वती राशी 3,43,500/- रुपये (50,000/- रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटो की गड्डी तथा 2,93,500/- डमी करेंसी के नोटो की गड्डीयां) गवाह श्री जितेन्द्र तोमर के पास सुरक्षा की दृष्टी से रखी हुई है को पुनः राशी के नोटों की गणना की गई तो 500-500 रुपये के 100 नोट (एक गड्डी) प्रचलित भारतीय मुद्रा के तथा 500-500 रुपये के 587 नोट जिन पर मनोरंजन बैंक का खजाना 0AA000000 सभी नोटो पर समान अंकित है (500-500 रुपये की पांच गड्डी मे 100-100 नोट तथा एक गड्डी मे 500-500 रुपये के 87 नोट कुल 2,93,500/- रुपये डमी करेंसी के) पाये गये । प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट 50,000/- रुपये जो फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबरु मिलान पाये गये है । उक्त राशी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क-O अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत तहवील एसीबी लिया गया । इसी प्रकार भारतीय मुद्रा जैसे दिखने वाली डमी करेंसी जिन पर मनोरंजन बैंक का खजाना 0AA000000 समान अंकित है उक्त राशी के 500-500 रुपये के कुल 587 नोट कुल राशी 2,93,500/- रुपये को भी एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क-D अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत तहवील एसीबी लिया गया ।

तत्पश्चात उपस्थित आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान तथा परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री चतुर्भुज आचार्य जाति ब्राह्मण उम्र 33 वर्ष निवासी रामबाग प्रथम गली कागांडाडी पुलिस थाना नागौरी गेट जोधपुर जिला जोधपुर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल जिला जालोर मोबाईल नंबर 9785667964 होना बताया । तत्पश्चात आरोपी श्री आशुतोष आचार्य को उपस्थित परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी की तरफ ईशारा कर पुछा गया की आप इस व्यक्ति को जानते हो, इसका कोई नगर पालिका भीनमाल मे कोई कार्य पेण्डिंग है क्या? तथा श्री मुकेश कुमार सोनी से किसी प्रकार की राशी की मांग करना एवं राशी सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक द्वारा प्राप्त करने बाबत् पुछने पर आरोपी श्री आशुतोष आचार्य ने बताया की मै श्री मुकेश कुमार सोनी को पहचानता हूँ क्योंकि श्री मुकेश कुमार सोनी के स्वयं, उसकी धर्म-पत्नि व उसके रिश्तेदारों के कुल 06(छः) पट्टों हेतु फाईलें नगर पालिका भीनमाल मे जमा है, उक्त पट्टों बाबत् श्री मुकेश कुमार सोनी नगर पालिका भीनमाल मे आकर मुझे मेरे कार्यालय कक्ष मे करीबन 5-7 दिन पहले मिला था, एवं श्री सोनी जी ने उक्त पट्टों को जारी करवाने हेतु मुझे कहा था जिस पर मैने उसी समय भूमि विकास शाखा के श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक को बुलाकर श्री मुकेश कुमार सोनी के रुबरु पट्टों बाबत् शेष रही कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण करने हेतु कहा था । मैने श्री मुकेश कुमार सोनी जी से किसी प्रकार की रिश्वती राशी की मांग नहीं की थी तथा ना ही मैंने इनसे किसी भी प्रकार रिश्वती राशी प्राप्त की है एवं ना ही मैने श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक को श्री मुकेश कुमार सोनी से पैसे प्राप्त करने हेतु कहा था । जिस पर उपस्थित परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी ने स्वैच्छा से आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी तथा श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया की श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी तथा श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक नगर पालिका भीनमाल सरासर झूठ बोल रहे है, मैने मेरी स्वयं, मेरी धर्म-पत्नि तथा मेरे रिश्तेदारों के नाम से कस्बा भीनमाल मे स्थित भूखण्डों का पट्टा जारी करवाने हेतु कुल 06(छः) फाईले नगर पालिका भीनमाल मे काफी समय से जमा है, जिनका पट्टा जारी करवाने हेतु मैं

पूर्व मे कई बार इनसे मिला किन्तु इन्होने मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा सभी पट्टे जारी करवाने की एवज मे श्री आशुतोष आचार्य तथा श्री जगदीश कुमार दोनो ने मेरे से प्रत्येक फाईल के एक-एक लाख रुपये छः फाईलों के कुल छः लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे। तत्पश्चात दिनांक 22.11.2022 को सत्यापन के दौरान मैं श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल से उनके कार्यालय कक्ष मे उपरोक्त पट्टे जारी करवाने बाबत् मिला तो श्री आशुतोष आचार्य ने मुझे आश्वासन दिया की आपके भी पट्टे जारी कर देगें उसी समय श्री आशुतोष आचार्य ने श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक भूमि विकास शाखा को अपने कार्यालय कक्ष मे बुलाया तथा मेरे पट्टे जारी करने हेतु श्री जगदीश कुमार को कहा। श्री आशुतोष आचार्य ने मुझे कहा की श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक से वार्ता करलो एवं श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक को कहा की "इनकी फाईलों मे देखलो यार है न कह दो यार इनको" " हां ठीक है सौ प्रतिशत आपका ही ठीक है" तत्पश्चात मैं श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक के साथ उनके कार्यालय कक्ष मे गया जहां श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक ने मुझे मेरे पट्टे जारी करने की एवज मे मेरे से छः लाख रुपये रिश्वत की मांग की जिस पर मेरे द्वारा विनती करने पर उन्होने एक लाख रुपये कम कर पांच लाख रुपये देने हेतु कहा। मेरे द्वारा पांच लाख रुपये की व्यवस्था नही होने से मैंने 50,000/- रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटो की व्यवस्था की तथा शेष राशी 2,93,500/- रुपये के नोट मनोरंजन बैंक का खजाना डमी करेंसी के नोटो की ही व्यवस्था हो पाई थी। श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी के कहेनुसार श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक भमि विकास शाखा नगर पालिका भीनमाल से हुई वार्तानुसार आज उपरोक्त रिश्वती राशी प्राप्त करने हेतु श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक मेरे घर पर आये एवं तय सुदा रिश्वती राशी श्री जगदीश कुमार ने मेरे घर पर मेरे से प्राप्त की। तत्पश्चात दोनो आरोपीगण से रुबरु गवाहान व परिवादी के पुनः उपरोक्त रिश्वती राशी प्राप्त करने के बारे मे पुछने पर नजरें झूकाते हुए निरुत्तर हो गये। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के पट्टों से संबंधीत 06 (छः) फाईलों बाबत् पुछने पर दोनो आरोपीगण ने बताया की उक्त फाईलें नगर पालिका भीनमाल के भूमि विकास शाखा मे रखी हुई हैं। उपरोक्त पट्टों की फाईलें जरीये फर्द जब्ती के पृथक से प्राप्त की जावेगी। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही विरूद्ध श्री जगदीश कुमार, कनिष्ट सहायक नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर पृथक से तैयार की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा मे धोवन के सील्ड सुदा सेम्पल मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2 व एल.एच.-1, एल.एच,-2 तथा बरामदा रिश्वती राशी सील्ड सुदा पैकेट मार्क ओ व डी श्री सुखाराम हैड.कानि. को सुपुर्द कर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स मे रखवाये गये। तत्पश्चात वक्त 03.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ब्यूरो जाब्ता तथा दस्तयाब सुदा आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी तथा श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक, ट्रेप बॉक्स मय फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम के जरीये सरकारी वाहन व निजी वाहन पुलिस थाना भीनमाल से रवाना होकर नगर पालिका भीनमाल पहूंचे। आरोपीगण को हमरा लेकर परिवादी के पेण्डिंग कार्य से संबंधीत पट्टा फाईले कुल छः जो सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक ने अपने कार्यालय भूमि विकास शाखा से निकालकर प्रस्तुत की जिसका अवलोकन कर पत्रावलीयों की छाया प्रतियां तैयार करवाई जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर जरीये फर्द जब्ती प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। मूल फाईलों को श्री अर्जुनसिंह ड्राईवर नगर पालिका भीनमाल को सुपुर्द की गई। श्री तेजराज भण्डारी आर.आई. नगर पालिका भीनमाल को निर्देशित किया गया की उपरोक्त कार्यवाही मे आरोपी श्री आशुतोष आचार्य एवं श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक के आवाज की पहचान हेतु नगर पालिका भीनमाल से दो कार्मिकों को भ्रनिब्यूरो जालोर मे आज ही भिजवावें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक मय श्री सुखाराम हैड.कानि., श्री गोपाल कुमार कानि., श्री गुलाबसिंह कानि., श्री आदूराम कानि.को दस्तयाब सुदा

आरोपीगण श्री आशुतोष आचार्य व श्री जगदीश कुमार के जरीये सरकारी वाहन बोलेरो मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के आवश्यक हिदायत देकर भ्रनिब्यूरो जालोर के लिए रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी तथा श्री मोहनलाल हैड.कानि., श्री विक्रमसिह कानि., श्री जयराम कानि. जरीये निजी वाहन से घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु रवाना होकर परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के रहवासी मकान घटनास्थल पहूंच गवाहान की उपस्थिति मे परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान जरीये निजी वाहन से भ्रनिब्यूरो जालोर के लिए रवाना होकर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र तोमर व श्री दिलीप कुमार एवं परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी तथा श्री मोहनलाल हैड.कानि., श्री विक्रमसिह कानि., श्री जयराम कानि. जरीये निजी वाहन तथा श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक मय श्री सुखाराम हैड.कानि., श्री गोपाल कुमार कानि., श्री गुलाबसिंह कानि., श्री आदूराम कानि.बमय दस्तयाब सुदा आरोपीगण श्री आशुतोष आचार्य व श्री जगदीश कुमार के जरीये सरकारी वाहन बोलेरो मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के भ्रनिब्यूरो जालोर पहूंचा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 22.11.2022 को परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी तथा आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी तथा सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक नगर पालिका भीनमाल के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्तालाप एवं दिनांक 22.11.2022 को परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी तथा सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक नगर पालिका भीनमाल के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे अलग-अलग रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे बमौजूदगी परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के सुन-सुनकर शब्द बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा उक्त रिकोर्ड वार्ताओं को कार्यालय हाजा के लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार करवाई गई। एक पेन ड्राईव को मूल मानते हुए कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी पेन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत मे रखी गई। उपरोक्त वार्ताओं मे आरोपीगण तथा स्वयं के आवाज कि पहचान परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी द्वारा की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री चतुर्भुज आचार्य जाति ब्राह्मण उम्र 33 साल निवासी रामबाग प्रथम गली कागां डांडी पुलिस थाना नागौरी गेट जोधपुर जिला जोधपुर, हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल जिला जालोर एवं सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री देवाराम जाति जाट उम्र 48 साल, निवासी मीरपुरा रोड जाटो की ढाणी भीनमाल, पुलिस थाना भीनमाल जिला जालोर हाल कनिष्ट सहायक भूमि विकास शाखा नगर पालिका भीनमाल जिला जालोर, हर दोनो को उनके द्वारा किये गये जुर्म अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादंस से नियमानुसार आगाह कर उनके संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत करवाते हुए पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया, फर्द गिरफ्तारी पृथक-पृथक मूर्तिब की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय हाजा पर हवालात की व्यवस्था नहीं होने से गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी व श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक नगर पालिका भीनमाल को श्री दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय श्री सुखाराम हैड.कानि. को सुपुर्द कर जरीये सरकारी वाहन मय चालक श्री जयराम कानि. के बाद मेडिकल मुआयना सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली की हवालात मे जमा करवाने हेतु आरोपीगण मय तेहरीर के रवाना किया गया। तत्पश्चात पूर्व निर्देशानुसार श्री रफीक खान हाल सफाई कर्मचारी तथा श्री मनोहरसिंह सूचना सहायक नगर पालिका भीनमाल जिला जालोर कार्यालय हाजा पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। प्रकरण

हाजा मे आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी व श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक एवं परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के मध्य दिनांक 22.11.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकोर्ड है, उक्त दोनो वार्ताओं को रुबरु स्वतंत्र गवाहान के डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर उक्त दोनो कार्मिकों को सुनाया गया तो हर दोनो ने सुन-समझ कर वार्तालाप मे श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी तथा श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक की आवाज रिकार्ड होना पहचान की गई, जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसी दौरान श्री दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय श्री सुखाराम हैड.कानि. जरिये वाहन सरकारी चालक श्री जयराम कानि. के गिरफ्तार सुदा आरोपीगण का राजकीय चिकित्सालय जालोर से मेडिकल मुआयना करवाकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात मे जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर उपस्थित आये। मेडिकल रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी एवं सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक नगर पालिका भीनमाल के मध्य दिनांक 28.11.2022 को रुबरु हुई लेन-देन पूर्व वार्तालाप जो परिवादी ने स्वयं के मोबाईल मे रिकार्ड की थी, जो परिवादी द्वारा पेन ड्राईव मे लाकर पेश की गई थी जिसे कार्यालय हाजा के लेपटॉप मे सेव किया जाकर उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के रुबरु सुन-सुनकर एवं समझ-समझकर शब्द बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के मोबाईल नंबर 9413584101 से सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक के मोबाईल नंबर 9001585882 पर लेन-देन पूर्व हुई मोबाईल वार्तालाप तथा रुबरु हुई लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकोर्ड है। उपरोक्त वार्ताओं को रुबरु गवाहान व परिवादी की मौजूदगी मे सुन-सुनकर समझ-समझकर शब्द-बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा उपरोक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो-दो पेन ड्राईव तैयार की गई। एक-एक पेन ड्राईव को मूल मानते हुए सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरे पेन ड्राईवों को डब मानते हुए खुली रखी गई। सह-आरोपी तथा स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी द्वारा की गई। तत्पश्चात दिनांक 01.11.2022 को वक्त 10.30 ए.एम पर श्री दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय श्री सुखाराम हैड.कानि. जरीये वाहन सरकारी चालक श्री जयराम कानि. के पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात मे सुरक्षार्थ बंद आरोपीगण श्री आशुतोष आचार्य व श्री जगदीश कुमार को लाने हेतु भेजा गया तो आरोपीगण को लेकर उपस्थित कार्यालय आये। प्रकरण हाजा मे वजह सबूत मालखाना आईटम्स फर्दात के मुताबिक सह आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक के दोनो हाथों की अंगूलियों का शील्ड सुदा धोवन मार्क आर.एच.-1, आर.एच- 2 तथा एल.एच-1, एल.एच-2 , बरामदा रिश्वती राशी शील्ड सुदा पैकेट मार्क ओ व डी एवं रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्तालाप की एक मूल पेन ड्राईव शील्ड सुदा तथा एक डब पेन ड्राईव खुली हालात मे, परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी द्वारा प्रस्तुत सुदा पेन ड्राईव रिकार्डिंग की एक मूल पेन ड्राईव शील्ड सुदा व एक डब पेन ड्राईव एवं लेन-देन पूर्व व लेन-देन वार्तालाप की एक मूल पेनड्राईव शील्ड सुदा व एक डब पेन ड्राईव खुली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राजात करवाया जाकर जमा मालखाना किया गया।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी पुत्र श्री देवीचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 42 वर्ष निवासी कुल्फी फैक्ट्री के पास, राजपुत गोपाल छात्रावास के पीछे भीनमाल, पुलिस थाना भीनमाल जिला जालोर के स्वयं के नाम तथा धर्मपत्नि तथा रिश्तेदारों के नाम कुल छः पट्टे की फाईलें पट्टा जारी करवाने हेतु नगर पालिका भीनमाल मे प्रस्तुत करना, उपरोक्त फाईलों

के छः पट्टे जारी करवाने की एवज मे आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी तथा सह-आरोपी श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक भूमि विकास शाखा नगर पालिका भीनमाल द्वारा कुल छः लाख रुपये रिश्वती राशी की मांग करना, दौराने रिश्वती राशी मांग सत्यापन पांच लाख रुपये रिश्वत लेना तय होना एवं परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशी पच्चास हजार रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट तथा शेष 2,93,500 रुपये के डमी नोट मनोरंजन बैंक का खजाना 0AA000000 सभी नोटो पर समान अंकित है प्रस्तुत करना, दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के निवास स्थान भीनमाल पर आकर उपरोक्त रिश्वती राशी के बण्डल प्राप्त कर गिनकर अपने हाथ मे रखना, रिश्वती राशी जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक के हाथ से बरामद होना, सह-आरोपी श्री जगदीश जाट के दोनो हाथों का सोडियम कार्बोनेट युक्त घोल मे धुलवाया जाने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी आना तथा परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी के उपरोक्त छः भूखण्डों के पट्टे जारी करवाने से संबंधीत पत्रावलीयां भूमि विकास शाखा नगर पालिका भीनमाल के कार्यालय कक्ष से श्री जगदीश कुमार कनिष्ट सहायक द्वारा प्रस्तुत करना, फाईलों का अवलोकन करने पर उपरोक्त सभी छः फाईलों के पट्टे जारी करना शेष होना पाया गया। आरोपी श्री आशुतोष आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल व सह-आरोपी श्री जगदीश जाट कनिष्ट सहायक नगर पालिका भीनमाल का उपरोक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भांदस का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री चतुर्भुज आचार्य, जाति ब्राह्मण उम्र 33 वर्ष, निवासी रामबाग प्रथम गली कागां-डांडी पुलिस थाना नागौरी गेट जोधपुर, जिला जोधपुर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर मोबाईल नंबर 9785667964 व श्री जगदीश जाट पुत्र श्री देवाराम जी जाट जाति जाट उम्र 48 वर्ष, निवासी मीरपुरा रोड जाटों की ढाणी भीनमाल, पुलिस थाना भीनमाल हाल कनिष्ट सहायक, भूमि विकास शाखा नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर, मोबाईल नंबर 9001585882 के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भांदस मे अपराध पंजीबद्ध करवाये जाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना प्रतिवेदन श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय

1.12.22

(डां. महावीरसिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री चतुर्भुज आचार्य, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका भीनमाल जिला जालोर एवं 2. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री देवाराम, कनिष्ठ सहायक, भूमि विकास शाखा नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 462/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.12.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 3962-66 दिनांक 01.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

1.12.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।